न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4985 / 1998 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमति पुनम कंवर पत्नि श्री माणकलाल, ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर ।

.....अप्रार्थिया

(2) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 147 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

मोहनलाल पुत्र श्री गोपीनाथ, सांडो की पोल, राखी हाउस, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(3) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 152 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

सत्यनारायण पुत्र श्री रामेश्वर तिवाड़ी, सरदारपुरा II रोड, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(4) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 157 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

सुरेन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल नाहटा, प्रथम सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(5) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 177 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

मूलचन्द पुत्र श्री सम्पतराज, जाति ओसवाल,रामारी प्याउ, जोधपुर।

.....अप्रार्थी

(6) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 182 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमति गवरी देवी पत्नी श्री नृसिंह सैन, बाईजी का तालाब, जोधपुर ।

.....अप्रार्थिया

(7) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 184 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

बंशीलाल पुत्र श्री जयनारायण माली, सुरसागर, जोधपुर

.....अप्रार्थी

(8) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 185 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

भंवरलाल पुत्र श्री इन्द्रराज परिहार, सिटी पुलिस के सामने वाली गली, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(9) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3862 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

घनश्याम पुत्र श्री रामाकिशन डागा, सज्जन भवन, हाथीराम का ओडा, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(10) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4342 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती मधु पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, सुनारों की घाटी, जोधपुर ।

.....अप्रार्थिया

(11) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4352 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

मदनलाल पुत्र श्री अमरचन्द ओसवाल, सरदारपुरा, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(12) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4354 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

पृथ्वी सिंह पुत्र श्री छगनीराम माली, रूपातों का बास, सूरसागर, जोधपुर।

.....अप्रार्थी

(13) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4372 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री सत्यनारायण तिवाडी, सरदारपुरा II A रोड, जोधपुर ।

.....अप्रार्थिया

(14) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4417 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1- जुगल किशोर पुत्र श्री कन्हैयालाल माहेश्वरी, कुमारियों का कुंआ, जोधपुर ।
2- अशोक पोरवाल, जोधपुर ।

.....अप्रार्थीगण

(15) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4451 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

जे. के. कोठारी पुत्र श्री नाहरमल कोठारी, शास्त्रीनगर, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(16) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4456 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती शमीम गोरी पत्नी श्री मो. इशाक, कवेराज जी का बाड़ा, जोधपुर ।

.....अप्रार्थिया

(17) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4457 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

आनन्द पुत्र श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, सरदारपुरा, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(18) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4460 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

महेश पुत्र श्री जामनदास दलियानी, सज्जन भवन हाथीराम का ओड़ा, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(19) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 4463 / 1999 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

कृष्ण मुरारी पुत्र श्री शिव वल्लभ माथुर, सरदारपुरा, जोधपुर।

.....अप्रार्थी

(20) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 407 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमति जेतुन (मृतक) पत्नी श्री अब्दुल रहमान जरिये कायम मुकाम :-
1/1- मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री अब्दुल रहमान, फतेहसागर तेलियों की गली, जोधपुर हाल निवासी जयपुर ।

.....अप्रार्थी

(21) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 432 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1- प्रेमाराम चौधरी पुत्र श्री मोडाराम, नागोरी गेट के बाहर, जोधपुर ।
2- जयन्ती लाल पुत्र श्रीमाल जैन, नरपत नगर, जोधपुर ।

.....अप्रार्थीगण

(22) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 446 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1- मालाराम पुत्र श्री नारायण सुथार, जाराबास, जोधपुर ।
2- श्रीमती जयारानी पत्नी श्री पारसमल जैन ओसवाल, अमर नगर पालरोड, जोधपुर।

.....अप्रार्थीगण

(23) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 1918 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1- मुलतानराम पुत्र श्री पदमाराम, भदवासिया, जोधपुर ।
2- श्रीमती छाया एम दोषी पत्नी श्री मनीष कुमार दोषी, प्लाट सं.60, अमरनगर, पालरोड़, जोधपुर ।

.....अप्रार्थीगण

(24) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 2905 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

रंगलाल वैद्य मूथा पुत्र श्री चांदमल, कन्दोई बाजार, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(25) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 2907 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

खेमचन्द पुत्र श्री मिश्रीमल ओसवाल, दीवानों की हवेली, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(26) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 2909 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1- मोहनलाल पुत्र श्री हीरालाल, दीवानों की गली, जोधपुर ।
2- सुरेश चन्द पुत्र श्री ओगचन्द जैन ओसवाल, माणक चौक, पलासनी हवेली, जोधपुर।

.....अप्रार्थीगण

(27) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3422 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती तीजी पत्नी श्री गुलामनाथ, हाथीराम का ओड़ा, जोधपुर ।
2- विमला देवी (मृतका) द्वारा ओमप्रकाश पुत्र श्री रामगोपाल सुथार, प्लाट सं.5 अमरनगर, पालरोड़, जोधपुर।

.....अप्रार्थीगण

(28) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3431 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

नरेश मेहता पुत्र श्री सुरजराज ओसवाल, पॉलीटेक्नीक कालेज के पास, जोधपुर

.....अप्रार्थी

(29) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3660 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

दीपचन्द पुत्र मुल्तानमल सुराना, त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

(30) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3662 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

कैलाश चन्द पुत्र श्री माणकलाल छाजेड़, कटला बाजार, जोधपुर ।

.....अप्रार्थिया

(31) प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 3666 / 2000 / जिला जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर ।

.....प्रार्थी

बनाम

चन्दनमल पुत्र श्री मुल्तानमल सुराणा, त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर ।

.....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य

उपस्थित :

1- श्री आर. के. गुप्ता, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी

2- श्री ओंकारलाल दवे, अभिभाषक अप्रार्थी / अप्रार्थी संख्या-2 (प्रकरण सं. 4985/98, 3660/2000, 3662/2000, 3666/2000)

3- श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अप्रार्थी / अप्रार्थी संख्या-2 :- (प्रकरण सं. 147/99, 185/99, 4417/99, 432/2000)

4- श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी / अप्रार्थी संख्या-2 :- (प्रकरण सं. 152/99, 182/99, 184/99, 3862/99, 4342/99, 4354/99, 4372/99, 4457/99, 4460/99, 1918/2000, 2905/2000, 2909/2000, 3431/2000)

5- श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1 :- (प्रकरण संख्या-4456/99)

6- श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थी / अप्रार्थी संख्या-2 :- (प्रकरण सं. 407/2000)

7- श्री लूणकरण पांड्या, अभिभषक अप्रार्थी / अप्रार्थी संख्या-2 :- (प्रकरण सं.- 446/2000, 3422/2000)

8- श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-1 :- (प्रकरण संख्या-2907/2000)

9- अप्रार्थी संख्या-1 / अप्रार्थी संख्या-2 अनुपस्थित :- (प्रकरण संख्या-157/99, 177/99, 4352/99, 4417/99 , 4451/99, 4463/99, 432/2000, 446/2000, 1918/2000, 2909/2000, 3422/2000)

दिनांक : 11 मई, 2012

निर्णय

1- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षिप्त में अधिनियम) की धारा-9 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर / अतिरिक्त कलक्टर, कृषि भूमि रूपान्तरण, जोधपुर के निर्णय क्रमशः दिनांक 26-11-1986, 3-2-1988, 4-2-1988,

5-2-1988, 29-4-1988, 30-4-1988, 3-10-1989 एवं 4-10-1989 से व्यथित होकर राजस्थान सरकार ने उपरोक्त समस्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं, जिनके सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से हैं कि ग्राम एवं जिला जोधपुर के खसरा संख्या-751/43, 751/43/1, 759, 769, 819/751 एवं 828/751 की राजकीय कृषि भूमि में प्राधिकृत अधिकारी ने बिना किसी क्षेत्राधिकार के विवादित आराजी के रूपान्तरण के आदेश पारित कर दिये । जिनसे व्यथित होकर राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत अपीलें विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने परिसीमा के प्रश्न पर ही विभिन्न दिनांकों को निरस्त कर दी । अतः राजस्थान सरकार ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-9 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 परिसीमा अधिनियम की याचना सहित प्रस्तुत किये हैं ।

2- चूंकि उपरोक्त समस्त प्रकरण समान तथ्य एवं समान प्रकृति पर आधारित है। अतः उपरोक्त समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से सम्मिलित रूप से किया जा रहा है ।

3- मैंने प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति एवं हस्तगत् प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

4- विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रार्थी का सारतः कथन है कि वादग्रस्त आराजी रूपान्तरण आदेश के पूर्व ही नगरीय क्षेत्र की योजना हेतु सुधार न्यास को हस्तान्तरित कर दी गयी थी । जिस हेतु राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-32 की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी थी एवं उक्त अधिनियम की धारा-52 के अन्तर्गत भूमि के अनिवार्य अर्जन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी । विवादित आराजी के संबंध में रूपान्तरण आदेश प्रदान करने का अधिकार मात्र नगर सुधार न्यास को ही है । लेकिन इसके उपरान्त भी प्राधिकृत अधिकारी ने अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि का रूपान्तरण का अधिकार नहीं होते हुये भी अवैधानिक रूप से रूपान्तरण आदेश पारित किये हैं । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने भी परिसीमा के तकनीकी आधार पर ही अपील निरस्त कर दी है जबकि पूर्णतया अवैध रूप से पारित आदेश को तकनीकी आधार पर ही निस्तारित नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना चाहिये । विद्वान राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित स्वीकार किया जाकर समस्त आलोच्य निर्णय अपास्त किये जावें ।

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी / अप्रार्थीगण ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। अधिनियम में वैकल्पिक उपचार प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । यदि अपील परिसीमा के बिन्दु पर निस्तारित की जाती है तो भी अपील गुणावगुण पर निर्णीत ही मानी जाती है ।

अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी / अप्रार्थीगण ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

(1) 2004 आर.आर.डी. पृष्ठ-687
(2) 2005 डब्ल्यू.एल.सी. (यू.सी.) पृष्ठ-54
(3) 2005(2) आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) पृष्ठ-30 एवं 119
(4) 2007(2) आर.एल.डब्ल्यू. (आर.जे.) पृष्ठ-172
(5) 2009(2) आर.आर.टी. पृष्ठ-1094

(6) 2007 आर.बी.जे. पृष्ठ-52
(7) ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) पृष्ठ-1332
(8) ए.आई.आर. 2005 (एस.सी.) पृष्ठ-226

6- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

7- पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगोचर होती है कि यद्यपि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश पारित करने के लगभग नौ-दस वर्ष पश्चात उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं कि रूपान्तरण आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राधिकृत अधिकारी में निहित नहीं था । चूंकि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं परिसीमा के तकनीकी बिन्दु पर गुणावगुण पर आधारित किसी भी प्रकरण की उपेक्षा किया जाना विधिसम्मत नहीं है । हस्तगत् प्रकरण में अंतर्वलित विषय वस्तु रूपान्तरण के अवैध कृत्य से संबंधित है । अतः ऐसे प्रकरणों में पूर्णतया तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना न्यायोचित है । निष्कर्षतः राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है ।

8- विवादित आराजी के संबंध में पारित आलोच्य रूपान्तरण आदेशों में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि विवादित आराजी के संबंध में नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-32(1) के अधीन नगरीय क्षेत्र की योजना हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी थी एवं उसके अनुसरण में भूमि के अनिवार्य अर्जन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-52(2) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित कर भूमि अवाप्ति / अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी ।

9- राजस्थान भू राजस्व (नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम-1981 की धारा-5 के अनुसार समस्त भूमियां जिनके संबंध में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही लम्बित हो, का रूपान्तरण / संपरिवर्तन प्रतिबंधित है।

10- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1974 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ-2077 एवं ए.आई.आर. 1955 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ-41 का अवलम्बन लेकर न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1994 राजस्थान पृष्ठ-53 में यह प्रतिपादित किया है कि जब भूमि सार्वजनिक उदेश्य हेतु अर्जित किया जाना प्रस्तावित हो, तब भूमि का रूपान्तरण विधि द्वारा अनुज्ञेय नहीं है ।

11- पत्रावली के अवलोकन से यह भी परिलक्षित होता है कि रूपान्तरण आदेश पारित करने की दिनांक को विवादित आराजी का हित नगर सुधार न्यास में निहित था एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 के अनुसार नगर सुधार न्यास में निहित भूमि का निस्तारण मात्र नगर सुधार न्यास द्वारा ही किया जा सकता है । अतः प्राधिकृत अधिकारी को विवादित आराजी का रूपान्तरण करने का क्षेत्राधिकार नहीं था । आलोच्य आदेश में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-32 एवं 52 के प्रावधानों को पूर्णतया प्रभावहीन कर दिया है । जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय को सुसंगत विधि ने कोई शक्तियां प्रदान नही कर रखी है । अतः उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में प्राधिकृत

अधिकारी को रूपान्तरण का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण निश्चित एवं सुस्पष्ट रूप से प्राधिकृत अधिकारी ने विद्यमान प्रचलित विधि की उपेक्षा कर पूर्णतया अवैधानिक एवं बिना किसी क्षेत्राधिकारिता के अनुचित रूप से आलोच्य आदेश पारित किये हैं ।

12- यह सुस्थापित विधि है कि राजस्व मण्डल अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निष्पादित न्यायिक कार्यो पर सामान्य अधीक्षण की शक्तियां रखती है तथा अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का विधिक परीक्षण एवं सम्यक् मूल्यांकन भी असाधारण परिस्थिति में राजस्व मण्डल के द्वारा किया जा सकता है एवं उक्त परिस्थिति में जानकारी के पश्चात कानून के प्रतिकूल पारित आदेश में शुद्धि करना अथवा उसे परिवर्तित करने का अधिकार राजस्व मण्डल को है ।

13- मेरे मत की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित निम्न न्यायिक दृष्टांतों से भी होती है :-

1- 1993 आरआरडी पृष्ठ-598 (सुन्दरपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य)
2- 1990 आरआरडी पृष्ठ-1 (रघुवीर सिंह बनाम राजस्व मण्डल)
3- 1993 आर.आर.डी. पृष्ठ-193 (नंदकिशोर व अन्य बनाम गोपाल व अन्य)

14- अतः हस्तगत् प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा-9 में राजस्व मण्डल को निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

15- उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी / अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां एवं न्यायिक दृष्टान्तों से उन्हें कोई अवलम्बन प्राप्त नहीं होता है ।

16- निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते हैं एवं अप्रार्थी / अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति निरस्त की जाती हैं तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित रूपान्तरण आदेश क्रमशः दिनांक 26-11-1986, 3-2-1988, 4-2-1988, 5-2-1988, 29-4-1988, 30-4-1988, 3-10-1989 एवं 4-10-1989 निरस्त किये जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य